



भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
 (A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. KAU/08/2017/STGMP/SEHRMT/RU-III

दिनांक: 25-06-2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
 वित्त विभाग,
 मध्य प्रदेश शासन,
 वल्लभ भवन, भोपाल
 (मध्य प्रदेश)

विषय: कु. अर्चना उईके, उप संचालक निधि संपरीक्षा के वेतन भत्तों के भुगतान के वित्त मंत्रालय म.प्र. शासन भोपाल के आदेश दिनांक 23/04/2018 के निरंतर अवेहलना बाबत - कुमारी अर्चना उईके मकान न. 46, फेण्डस कालोनी, खजरी रोड, जिला छिंदवाड़ा, (मध्य प्रदेश) का अभ्यावेदन ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस आयोग के समसंख्यक सीटिंग नोटिस दिनांक 20.06.2018 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सीटिंग (बैठक) 20-06-2018 को 14.00 बजे होने वाली थी अब वह 05-07-2018 को अपराह्न 12.00 बजे निर्धारित की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(Handwritten Signature)

(आर. के. दुबे)
 सहायक निदेशक
 दूरभाष-24615012

dc

प्रतिलिपि:

कुमारी अर्चना उईके
 मकान न. 46, फेण्डस कालोनी,
 खजरी रोड, जिला छिंदवाड़ा,
 (मध्य प्रदेश) -480001

4921-22
 25/6/18
 जारी किया
 ISSUED